न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
173/2022	29-04-2022	12/05/2022

उनवान

01. विरेन्द्र पुत्र सरजीत सिंह जाति अहीर निवासी पचगांवा (कुकडौला) तहसील व जिला गुरूग्राम (हरियाणा) हाल काश्तकार विरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रार्थी

बनाम

01. राज पुत्र रामफल
02. नेत्रपाल पुत्र रामफल
03. कमल पुत्र रामफल जाति अहीर निवासीगण ग्राम विरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत हाल आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 1.03 है0, 210 रकबा 0.63 है0 किता 2 कुल रकबा 1.66 है0 आराजी वाके ग्राम विरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी मिन प्रार्थी व प्रार्थी के भाई देवेन्द्र की तन्हा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस आराजीयात पर मिन प्रार्थी व प्रार्थी का भाई शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई संवंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण गैरकाबिज, गैर वास्ता आराजी है। अप्रार्थीगण, उक्त आराजी पर जवरन कब्जा करने, रास्ता निकालकर सडक बनाने व जबरन निर्माण करने की जुस्तजु में है, जवकि अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मिन प्रार्थी, जो कि बाहर रहता है, जवकि अप्रार्थीगण लोकल निवासी है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से मौके पर एक गिरोह मिन प्रार्थी के विरूद्व बनाया हुआ है तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजी को गैरकानूनी तरीके से विना किसी अधिकार के कब्जा कर हडपना चाहते है तथा कब्जा कर नींव खोदकर निर्माण करने की फिराक में है, जवकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण झगडालू एवं मुठमर्द किस्म के आदमी है, जो कानून कायदे की कतई परवाह नहीं करते है और आये दिन प्रार्थी को तंग व परेशान करते है तथा कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते है तथा मिन प्रार्थी को डराते धमकाते रहते है। दिनांक 28.04.2022 को सुवह अप्रार्थीगण समस्त अपने साथ जेसीवी लेकर मौके पर आये और उक्त आराजी में जबरन कब्जा करने व नींव खोदकर निर्माण कार्य करने व रास्ता निकालकर सडक बनाने का असफल प्रयास किया और ईधन व

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राजस्थान

उपले प्रार्थी की उक्त आराजी ... [illegible]

अप्रार्थीगण ने ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि वो उक्त आराजी में जबरन रास्ता निकालकर सड़क बनाकर ही रहेंगे, जबकि अप्रार्थीगण का जबरन बेदखल करेंगे और आराजी में जबरन रास्ता निकालकर सड़क बनाकर ही रहेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कीमत रूपयों में आंकी जाना सम्भव नहीं होगी और दीगर मुकदमेबाजी में पड़ना पड़ेगा, इसलिए मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई पाबन्द कराने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण को ताफैसला अदालत मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वो वाके ग्राम विरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 1.03 है0, 210 रकबा 0.63 है0 किता 2 कुल रकबा 1.66 है0 जो कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, में अप्रार्थीगण मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें, ना ही तामीरात करें, ना ही नींव खोदकर कच्चा पक्का निर्माण करें, ना ही जबरन कब्जा करें, ना ही जबरन प्रवेश करें, ना ही डौल तोड़े ना ही रास्ता निकालकर सड़क बनावे, ना ही उक्त आराजी में कोई वस्तु ईंधन, उपले आदी डाले एवं ना ही प्रार्थी को आने जाने व कार्य करने से रोके। मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 28.04.2022 को प्रतिवादी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वे हाल आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 1.03 है0, 210 रकबा 0.63 है0 किता 2 कुल रकबा 1.66 है0 आराजी वाके ग्राम विरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर पर वादी की खातेदारी भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है कि प्रार्थी ने एक वाद मिथ्या एवं तथ्यों व रिकार्ड के आधार पर न्यायालय श्रीमान् में आवश्य दायर किया है। आराजी खसरा नम्बर 197, 210 वाके ग्राम बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थी ने उक्त आराजी को बेजा रूप से विवादित बनाया है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई देवेन्द्र के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त वाद में सह हिस्सेदार देवेन्द्र को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे वादी का वाद एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। समस्त तथ्य मिथ्या एवं मनघड़न्त दर्ज कराये है। प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी में जबरन कब्जा करने व रास्ता निकालकर सड़क बनाने व जबरन निर्माण करने की जुस्तजू में है, जबकि उक्त आराजी पर पूर्व कदीमी 150 वर्षों से रास्ता जारी है और आज भी मौके पर रास्ता जारी है और ढाणी के लोग इसी रास्ते से आते जाते है तथा उक्त आराजी में नक्शा में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। प्रार्थी ने जब बेईमानीपूर्ण आशय से उक्त कदीमी रास्ते को अवरूद्ध करने की नीयत से वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो वाद वादी एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले खारिज है। हम अप्रार्थीगण कानूनपसंद व्यक्ति है जबकि प्रार्थी स्वयं लड़ाका व मुठमर्द किस्म का व्यक्ति है, जो कानून कायदे की कतई परवाह नहीं करता है। प्रार्थी ने दिनांक 28.04.2022 की समस्त कहानी मिथ्या एवं मनघड़न्त दर्ज की है। हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कोई किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गई। प्रार्थी ने बदनीयती पूर्वक उक्त आराजी पर पूर्व कदीमी 150 वर्षों से रास्ता जारी है और आज भी मौके पर रास्ता जारी है और ढाणी के लोग इसी

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

आधार पर वादी/प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् से कोई [illegible]
इन्दराज से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुये वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया है प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की आड में 150 वर्षों से जारी कदीमी रास्ते को अवरूद्ध करने की नीयत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ऐसी सूरत में अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा भूमि का अपनी खातेदारी दर्शित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य सामने लाया गया है कि मौके पर रास्ता है जो पिछले 150 वर्षों से जारी है प्रार्थी इस स्थगन की आड में उपरोक्त रास्ता अवरूद्ध करने की मंशा रखता है। जिस तथ्य को प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है एवं भूमि में रास्ता नहीं है ऐसा कोई खण्डन में जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि यदि स्थगन को ताफैसला वाद पुष्ट किया जाता है तो अप्रार्थीगण को नुकसान कारीत होगा व प्रार्थीगण द्वारा स्थगन की आड में रास्ता बन्द किया जा सकता है। अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन बहक अप्रार्थीगण है अतः प्रार्थीगण अविवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अविनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

गवाह :

....

....